1/5/18

पत्रावली पेश हुई। वादी / प्रतिवादी उप०।
वादी ने उपस्थित होकर वादपत्र में ~~अलिखित~~
उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया। प्रतिवादी
ने निवेदन किया कि वादी की भूमि
पर न तो पूर्व में गया तथा ना ही
भविष्य में जाऊंगा। वादी ने
हैरान परेशान करने के लिए
वादपत्र दायर किया गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। वादपत्र
में उल्लेखित भूमि वादी के नाम
से राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड है।
प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा
पाबंद किया जाता है कि वादी के
नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज
भूमि चक 12LM के मु०नं० 203/487
के खसरा नं० 14ता 18, 23ता 25
की कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड
भूमि पर किसी प्रकार की दखल
न्दाजी से बाज व ममनू रहे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दफ्तर दाखिल हो।

2-5-2018

हनुमान

कुलदीप सिंह